



वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

15th
YEARS OF
CELEBRATING
THE MASTERS

(विधि, आरटी0आई०. प्रकोष्ठ)

क्रमांक :— वमखुविवि/कुस/आरटीआई/2020/२१४—२३।
कार्यालय आदेश

दिनांक: ०१-०३-२०२०

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों को विश्वविद्यालय में पूर्ण पालना तथा आवेदकों को सूचना सुगम स्पष्ट एवं शीघ्र उपलब्ध कराने के लिये सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-5 की उपधारा-2 के तहत विश्वविद्यालय में निम्नलिखित विभागाध्यक्षों को सहायक लोक सूचना अधिकारी घोषित किया जाता है।

क्रमांक	विभाग का नाम	सहायक लोक सूचना अधिकारी
1	परीक्षा विभाग	परीक्षा नियन्त्रक
2	वित्त विभाग	नियन्त्रक वित्त
3	क्षेत्रीय सेवायें	निदेशक
4	संकाय, योजना एवं विकास	निदेशक
5	शिक्षा विभाग	निदेशक
6	निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र, अजमेर	निदेशक
7	निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र, जयपुर	निदेशक
8	निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र, जोधपुर	निदेशक
9	निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र, बीकानेर	निदेशक
10	निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र, कोटा	निदेशक
11	निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र, उदयपुर	निदेशक
12	निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र, भरतपुर	निदेशक

सभी सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने विभाग में प्राप्त आवेदन पत्रों को अपने स्तर पर सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के नियमान्तर्गत परीक्षण कर अपने विभाग से सम्बन्धित उपलब्ध सूचना सहित 5 दिवसों में लोक सूचना अधिकारी एवं कुलसचिव को प्रेषित करना सुनिश्चित कराये। सूचना विलम्ब से अस्पष्ट या अधुरी आवेदक को प्रेषित होने पर अगर सूचना आयोग जयपुर अपील अधिकारी द्वारा कोई शास्त्री लगाई जाती है तो उसका सम्पूर्ण दायित्व सहायक लोक सूचना अधिकारी का होगा।

आवेदक अगर सीधे सहायक लोक सूचना अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रेषित करता है तो कुलसचिव को अग्रेषित नहीं करे, बल्कि चाही गई सूचना प्राप्ति के 5 दिवस में कुलसचिव को भिजवाये तथा प्राप्त आईपीओ को विभाग के खाते में जमा करायें।

सूचना निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार एवं दस्तावेज में हो, दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ को प्रमाणित (हस्ताक्षर व पद मोहर के साथ) कर दस्तावेजों की दो फोटो प्रतियों में पृष्ठ क्रमांक अंकित कर बिन्दुवार जबाब में दर्शाते हुए भिजवाने का श्रम करावें।

बिन्दु संख्या	आवेदक द्वारा चाही गई सूचना	प्रतिउत्तर	दस्तावेजों के पृष्ठ क्रमांक
1.			
2.			
3.			

यह आदेश माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति के बाद जारी किये जाते हैं।

(एस० डी० मीना)

कुलसचिव एवं लोकसूचना अधिकारी

File3/14/28-Feb-20

C अन्त—2

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, कुलपति सचिवालय, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
2. उपरोक्त विभागाध्यक्ष वमखुविवि, कोटा को पालनार्थ ।
3. प्रभारी ईएमपीसी को भेजकर लेख है कि आरटीआई पोर्टल पर डालने का श्रम करे।

(एस०/डी० मीना)
कुलसचिव एवं लोकसूचना अधिकारी